(घ) इस कर्जे को कैसे निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दि० 31.03.1998 की स्थिति के अनुसार भारत ने विश्व बैंक से 13649.07 मिलियन अमरीकी डालर (6177.90 मिलियन अमरीकी डालर आई बी आरडी ऋण और 7471.17 मिलियन अमरीकी डालर आई डी ए ऋण) का ऋण लिया है। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण लिया गया है उनका ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है [देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र संख्या 83] । आईबीआरडी ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है और भारत को आई डी ए ऋण ब्याज मुक्त हैं, इनकी परिपक्वता अवधि 35-40 वर्ष है, जिसमें 10 वर्ष की छूट भी शामिल है तथा जिन पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया गया है। इस ऋण का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

"मूडी" द्वारा भारत की "रेटिंग" घटाया जाना

3001. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "मूडी" नामक एक अमरीकी संस्था ने निवेश के मामले में भारत की रेटिंग को "बी० ए० ए०" से घटा कर "बी० ए० जेड०" कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निहितार्थ क्या है और भारत में किए जाने वाले विदेशी पूंजी निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) मैसर्स मूडी की निवेशक सेवा ने भारत की दीर्घावधिक ऋण के लिए विदेशी मुद्रा की देश की अधिकतम सीमा और ख कक 3 से ख क2 तक के नोटों में संशोधन किया है।

(ख) विभिन्न मापकों में क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा मापक है जिससे विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।

उत्पाद शुल्क के मामले

3002. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी उत्पाद शुल्क संबंधी 50 हजार मुकदमें चल रहे हैं और इनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) जी नहीं। 31 मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 7000 से कम थी तथा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन मामलों में लगभग 2050 करोड़ रुपए तक की ही राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समान विषय वाले लंबित मामलों को एक साथ मिलाना तथा इसके उपरांत ऐसे मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने तथा सुनवाई करने के लिए न्यायालयों से अनुरोध करना।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की जानकारी देना ताकि समान विषय वाले मामलों के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई की जा सके।

(iii) मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने तथा सुनवाई के लिए विधि मंत्रालय, इसके शाखा सचिवालय तथा केन्द्रीय सरकार के स्थायी अधिवक्ता के साथ बेहतर संपर्क बनाने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के स्तर पर तथा साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रत्येक आयुक्तालय के स्तर पर एक विशेष मुकदमेबाजी कक्ष क्रियाशील है।

Waiver of Loans to Punjab

3003. **SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA**: Will the Minister of FINANCE pleased to state:

(a) whether the Central Government have seen controversial reports in the press recently about waiving off the Central Loan to Punjab spent on curbing terrorism in the State;

(b) the present status of the loan as on date indicating whether the loan has totally/partially been waived off; and

(c) the relevant details in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) The Tenth Finance Commission (TFC) had recommended write off of one-third of the repayment of principal for the period 1995-2000 in respect of the special term loans given to the State to fight militancy and insurgency. Government of India had waived the remaining repayment of principal and interest falling due during 1995-96. During 1997-98 Government of India further waived off unpaid repayment obligations of 1997-98 and repayments falling due during 1998-99 and 1999-2000.

(c) The details are as follows:

(Rs. in crore)

	Amount written off		
	As per GOI decision (Principal and Interest)	As per TFC recommendation (Principal)	Total
1995-96	803.23	88.07	891.30
1996-97	——	88.07	88.07
1997-98	584.16	88.07	672.23
1998-99	771.15	110.29	881.44
1999-2000	759.35	120.72	880.07

Working Group to review Functioning of DRTs

3004. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a working group has been set up by R.B.I. to review the functioning of Debt Recovery Tribunals (DRT);

(b) if so, the salient features of their review report;

(c) whether the reported insufficient infrastructure for DRTs are being strengthened;

(d) if so, the measures taken so far;

(e) whether the provisions of the DRT Act and the rules are being amended to give them more teeth to recover NPAs; and

(f) if so, the time frame within which the amendments would be made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (f) The Working Group has not yet submitted its final report. However, an interim report has been received recently from the Working Group suggesting certain amendments in the Recovery of Debts Due to Banks & Financial Institutions Act, 1993. The recommendations of the Working Group are under consideration of the Government.

Violation of Rules of Job Rotation in the State Bank of Indore

3005. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Regional Manager of State Bank of Indore has received many complaints of lady employees against the discrimination of Branch Manager of Service Branch, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that the rule of job rotation is not being followed in the branches of Delhi properly; and

(c) if so, whether Government would take any action against the Branch Managers of the different branches who are violating the rules of job rotation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.